



क्र	आदेश	कार्यवाही
022	<p>अभिलेख उपस्थापित । पत्रांक-630,दिनांक:-16.09.2022 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में शाखा प्रबंधक, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, कोवाली द्वारा उनके बैंक के लम्बित नीलाम पत्र वादों से संबंधित पंजी- IX एवं X का मिलान आज दिनांक-22.09.2022 को कराया गया । पंजियों के मिलानोपरांत शाखा प्रबंधक, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, कोवाली के पत्रांक- JRGB/KOL/km/15/2022-23,दिनांक-22.09.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नीलाम पत्र वाद सं0-233(BL)1992-93 में ऋण की राशि को वसूल करते हुए उक्त ऋण खाता को बंद कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में उनके द्वारा इस वाद की कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>अतः शाखा प्रबंधक, झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक, कोवाली के पत्रांक-JRGB/KOL/km/15/2022-23,दिनांक-22.09.2022के आलोक में नीलाम पत्र वाद संख्या-233(BL)1992-93 की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।</p>	

लेखापित एवं संशोधित



नीलाम पत्र पदाधिकारी
पोटका



नीलाम पत्र पदाधिकारी
पोटका